

कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली।

पत्रांक-

/निविदा/डा0रा0लो0स0ग्रा0वि0यो0/जि0पं0चं0/2014-15

दिनांक-

-:निविदा सूचना:-

जिला पंचायत, चन्दौली के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों जो वर्ष 2015-16 के लिये पंजीकृत ठेकेदार है, को सूचित किया जाता है कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यों की प्रतिशत दर पर सील बन्द निविदायें दिनांक-30.04.2015 को समय 3.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, प्राप्त निविदायें उसी दिन दिनांक-30.04.2015 को अपराह्न 3.30 बजे से अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली के कार्यालय में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित निविदा समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा फार्म की बिक्री दिनांक-29.04.2015 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 5.00 बजे तक जिला पंचायत, चन्दौली के कार्यालय में की जायेगी। कोई भी ठेकेदार सभी निविदाओं के लिए निविदा दे सकता है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित लागत श्रामग्री अंश (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मुल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि माह में
1	2	3				
1	पपरौल में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	धानापुर	4.75	9500.00	300.00	3 माह
2	इनायतपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	धानापुर	4.75	9500.00	300.00	3 माह
3	देवकली में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	बरहनी	4.75	9500.00	300.00	3 माह
4	सरैया में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	शहाबगंज	4.75	9500.00	300.00	3 माह
5	बर्थरा में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	सकलडीहा	4.75	9500.00	300.00	3 माह
6	कटसील में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	सकलडीहा	4.75	9500.00	300.00	3 माह
7	रेवसा में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	सकलडीहा	4.75	9500.00	300.00	3 माह
8	भीषमपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	चकिया	4.75	9500.00	300.00	3 माह
9	सरायरसूलपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	चहनियां	4.75	9500.00	300.00	3 माह
10	बेलवानी में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	चहनियां	4.75	9500.00	300.00	3 माह
योग-			47.50	95000.0	3000.00	
				0		

नोट- उपरोक्त आंगबाड़ी के निर्माण कार्य के श्रमांश का भुगतान मनरेगा द्वारा किया जायेगा।

नियम व शर्त:-

- निविदा के साथ निर्धारित धनराशि संलग्न होनी चाहिए/धरोहर धनराशि शिड्यूल बैंक की बैंक ड्राफ्ट/डाकघर बचत पत्र (एन0एस0सी0)/किसान विकास पत्र अथवा जिलानिधि जिला पंचायत की रसीद के रूप में होनी चाहिए, जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली के पक्ष में होगा। यदि कोई ठेकेदार एक से अधिक कार्य के लिए निविदा डालता है तो प्रत्येक कार्य की निविदा के साथ अलग-अलग धरोहर धनराशि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कोई निविदाकर्ता जिसका अपराधिक रिकार्ड है, निविदा में भाग लेने से प्रतिबन्धित होगा।
- एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत में निहित होगा।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में कुल 10 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि मिलाकर) जमानत धनराशि जमा करने पर अनुबन्ध किया जायेगा। निविदा स्वीकृत होने के दो सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध न कराने पर निविदा स्वतः निरस्त मान ली जायेगी। अनुबन्ध गठित होने पर तत्काल कार्य प्रारम्भ न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- दस लाख रुपये अथवा उससे अधिक धनराशि के कार्यों का अनुबन्ध शासन से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।

अभिधन्ता

जिला पंचायत, चन्दौली।

अपर मुख्य अधिकारी,

जिला पंचायत, चन्दौली।

अध्यक्ष,

जिला पंचायत, चन्दौली।

पृ0सं0 275 /जि0पं0चं0/2014-15

तददिनांक- 01.04.15

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

1-आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

2-जिलाधिकारी, चन्दौली।

3-मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।

